उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-39/2020/237(1)/71-2-20-02/2020 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2020

कार्यालय-आदेश

शासनादेश संख्या-19/2020/237/71-2-2020-02/2020टी0सी0 दिनांक 26-02-2020 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गामा नाइफ उपकरण हेतु बंकर का निर्माण किये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- गामा नाइफ उपकरण एम्स, नई दिल्ली एवं पी0जी0आई0, चण्डीगढ (PGIMER Chandigarh) में भी स्थापित किये गये हैं। प्रकरण में और अधिक अध्ययन/परीक्षण किये जाने के उपरान्त बंकर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-19/2020/237/71-2-2020-02/2020टी0सी0 दिनांक 26-02-2020 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2020/237(2)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6) प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक (लखनऊ अंचल)/परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 (इकाई-19)।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in